कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0 /एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 1428/778 दिनांक:– 17.08.12

सेवा में,

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

महाशय,

नगर पंचायत मीरगंज के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं0 618/11–12 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित है। साथ ही अनुरोध है कि इस लेखा प्रतिवेदन के कंडिकाओं का अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर प्रेषित करवाने का कष्ट करें।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करये गए सूचनाओं/विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

24/8/12

लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सोशल सेक्टर–1
बिहार, पटना

नगर पंचायत मीरगंज
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या–618/11–12
(अवधि– 2008–09 से 2010–11 तक)

1.प्रस्तावना

मीरगंज(गोपालगंज) नगर पंचायत के वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक के लेखाओं का लेखा परीक्षा कार्यालय,प्रधान महालेखाकार(ले0प0) स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,बिहार,पटना के एक अंकेक्षण दल द्वारा 23.01.2012 से 02.02.12 के दौरान किया गया।

2.प्रशासन

क्र0सं0	नाम	अवधि
	अध्यक्ष	
(i)	श्री बैजनाथ प्रसाद	01.04.08 से 04.09.09
(ii)	श्री मोहन जी प्रसाद (कार्यकारी)	05.09.09 से 21.10.09
(iii)	श्री धनंजय यादव	22.10.09 से 31.03.11
	उपाध्यक्ष	
(i)	श्री मोहन जी0 प्रसाद	01.04.08 से 31.03.11
	कार्यपालक पदाधिकारी	
(i)	महमूद आलम	01.04.08 से 17.03.09
(ii)	श्री राहुल कुमार	18.03.09 से 25.11.09
(iii)	श्री उपेन्द्र नाथ पाण्डेय	26.11.09 से 13.04.10
(iv)	श्री शैलेश कुमार दास	14.04.10 से 31.03.11

3.लेखा परीक्षा की परिधि

लेखा परीक्षा द्वारा जॉच की गई अभिलेखों की सूची अंकेक्षण प्रतिवेदन में परिशिष्ट–I पर तथा लेखा परीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई अथवा संधारित नहीं की गई अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II पर दर्शायी गई है।

4.आंतरिक लेखा परीक्षा

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 97 में ऐसे जॉच की व्यवस्था कही गई है जिससे नगरपालिका लेखाओं के संधारण तथा समन्वय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके।

(69)

नगर पंचायत मीरगंज के अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त जाँच प्रकिया का कार्यान्वयन नगर पंचायत प्रशासन द्वारा वर्षों से नहीं किया जा रहा था जिसके फलस्वरूप अनेक त्रुटियाँ एवं अनियमितता हुई जिसका विश्लेषण आगे की कंडिकाओं में किया गया है।अतः भविष्य में नियमित अंतराल पर आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि अनियमितताओं की पुनरावृति न हो।

5.पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

अंकेक्षण इकाई द्वारा पूर्ववर्ती सभी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं तैयार किया गया।पूर्ववर्ती लेखा का अनुपालन प्रतिवेदन नहीं होने के कारण लेखा परीक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया।इसे तैयार कर अगले अंकेक्षण को प्रस्तुत करें।

6.प्रमुख अंकेक्षण उपलब्धियाँ

क्र0 सं0	कंडिका सं0	विवरण
1	11	अनुदान का अवरोधन
2	13	40वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृति नहीं कराया जाना
3	16	वैट एवं स्वामित्व कर की राशि जमा नहीं
4	17	सरकारी भवनों पर बकाया
5	18	प्रमुख करों की वसूली दयनीय
6	19	बंदोबस्ती
7	20	विज्ञापन पर व्यय
8	21	श्रम सेस की कटौती नहीं
9	22	DPR तैयार करने में हुई हानि
10	26	रद्द/अपूर्ण योजनाओं में बकाया अग्रिम
11	28	दैनिक मजदूरी पर व्यय

विस्तृत विवरण कंडिकाओं में अंतर्निहित है।

7.कर निर्धारण का पुनरीक्षण नहीं

लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पूर्व में गृहकर का पुनरीक्षण वर्ष 1998 में हुआ था,तबसे लेखापरीक्षा की तिथि (जनवरी 2012) तक गृहकर एवं अनुषंगी करों का पुनरीक्षण नहीं हुआ है।नगर पंचायत की आय काफी कम है एवं आर्थिक स्थिति दयनीय है।अतः सक्षम पदाधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है कि करों का पुनरीक्षण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए।

8.बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82(5) के अनुसार मुख्य पार्षद प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी अथवा तत्पश्चात् यथा संभव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष प्रस्तुत करेगा।लेकिन लेखा परीक्षा के दौरान यह देखा गया कि नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक में बजट तैयार नहीं किया गया।इस प्रकार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 82(5) एवं धारा 84(1) का पालन नहीं किया गया।धारा 75 के प्रावधान के अनुसार नगरपालिका निधि से तबतक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक कि वह बजट अनुदान में सम्मिलित न हो।

नगर पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय वर्ष 2008–09 से 2010–11 में नगर पंचायत निधि से निम्न व्यय हुआ:–

2008–09	1801471.00
2009–10	1766484.00
2010–11	2087945.00
कुल	5655900.00

इस प्रकार कुल 5655900.00 का व्यय अप्राधिकृत रूप से किया गया।भविष्य में बजट प्राक्कलन को निश्चित रूप से तैयार कर नगर पंचायत की बैठक में अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पारित कराकर स्थानीय निकायो के क्षेत्रीय उपनिदेशक को प्रस्तुत किया जाए।

9.संव्यवहार

वार्षिक लेखा का संधारण नहीं किया गया जिससे वर्ष 2008–09 से 2010–11 में आय–व्यय की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं किया जा सका।लेखा परीक्षा में प्रस्तुत लेखापाल रोकड़बही के अनुसार मीरगंज नगर पंचायत के संव्यवहार की स्थिति निम्न प्रकार है:–

2008–09	
01.04.08 को प्रारंभिक शेष	10903244.00(A.R.No. 262/08-09 के अनुसार)
वर्ष के दौरान प्राप्ति	3234516.00
कुल प्राप्ति	14137760.00
वर्ष के दौरान व्यय	1801471.00
31.05.09 को अंत:शेष	12336289.00
2009–10	
01.04.09 को प्रारंभिक शेष	12336289.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	3951385.00
कुल प्राप्ति	16287674.00

(67)

वर्ष के दौरान व्यय	1766484.00
31.03.10 को अंतःशेष	14521190.00
2010–11	
01.04.10 को प्रारंभिक शेष	14521190.00
वर्ष के दौरान प्राप्ति	5250097.00
कुल प्राप्ति	19771287.00
वर्ष के दौरान व्यय	2087945.00
31.03.11 को अंतःशेष	17683342.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) सामान्य रोकड़ बही 30.08.10 से 31.03.11 तक कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं था।

(ii) प्राप्ति एवं व्यय शीर्षवार दर्ज नहीं था।

(iii) बैंक समाधान विवरणी एवं वार्षिक लेखा वर्ष के अंत में तैयार नहीं किया गया था।

(iv) बैंक पास बुक नहीं दिया गया।जिसके कारण वास्तविक प्राप्ति एवं व्यय की सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी।इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

10. अनुदान

अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था।इस कारण पूर्व के अनुदान अवशेष तथा वर्ष में प्राप्त अनुदान की वास्तविक स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी थी। अनुदान पंजी का वर्षवार संधारण कर अगले अंकेक्षण को प्रस्तुत किया जाए।

(1) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान के सहायक रोकड़बही के अनुसार रू0 5437078.00 की राशि वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक प्राप्त थी तथा इसे SBI मीरगंज की बचत खाता सं0 30391765255.00 में रखा गया था।

(i)	जिला पदाधिकारी पत्रांक 457/02.05.08	₹ 1599859.00
(ii)	उप वि0 आयुक्त गोपालगंज चेक सं0 046850/28.05.09	₹ 178695.00
(iii)	–तथैव– 046856/30.05.09	₹ 1026015.00
(iv)	––तथैव–046870/24.01.10	₹ 1375670.00
(v)	–तथैव– 0503970/03.12.10	₹ 1256839.00
		₹ 5437078.00

इस राशि में से अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया था तथा अनुदान का अवरोधन किया गया था।अनुदान की राशि को शीघ्र व्यय करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाए।

(2) सिटी मैनेजर के मानदेय का अनुदान

सिटी मैनेजर के मानदेय के लिए 140000.00 की राशि DD No. 708463/02.11.10द्वारा प्राप्त हुआ था।इसके वर्ष 2010–11 में ₹124516.00 का व्यय किया गया था तथा अवशेष 15484.00 थी।इसे शीघ्र व्यय करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाऐ।

(3) अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का भत्ता तथा वार्ड सदस्य का यात्रा विपत्र अनुदान

नगर विकास विभाग से ₹212400.00 की राशि उक्त मद में प्राप्त हुआ था।विवरण निम्न है–

		प्राप्ति	व्यय	अवशेष
(i)	नगर वि0 एवं आवास विभाग के पत्रांक 4535/29.08.08	70800.00	36800.00	34000.00
(ii)	तथैव पत्रांक 1430/19.03.10	70800.00	शून्य	70800.00
(iii)	तथैव पत्रांक 2031/26.04.10	70800.00	शून्य	70800.00
		₹ 212400.00	₹ 36800.00	₹175600.00

अनुदान की अव्यवहृत राशि 175600.00 को व्यय करने की दिशा में शीघ्र आवश्यक कदम उठाया जाए।

(4) जिला पदाधिकारी गोपालगंज से जनगणना कार्य हेतु निम्न राशि प्राप्त हुई

(i)	जिला पदा0 गोपालगंज के ज्ञापांक 2 दिनांक 04.01.11	₹ 161700.00
(ii)	–तथैव–	₹ 112200.00
(iii)	–तथैव–	₹ 49500.00
(iv)	–तथैव– 106/21.03.11	₹ 104100.00
(v)	–तथैव–	₹ 1500.00
		₹429000.00

इस मद की राशि मे से कोई व्यय किया गया या नहीं इससे अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।इससे अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(65)

(5) कबीर अंतयेष्टि कार्यक्रम

कबीर अंतयेष्टि कार्यक्रम में निम्न राशि नगर पंचायत को प्राप्त हुई

(i)	जिला पदा0 गोपालगंज चेक सं0 412982/09.12.09	₹ 144000.00
(ii)	–तथैव– 818351/07.06.10	₹ 24000.00
(iii)	–तथैव– 818400/19.7.10	₹ 144000.00
(iv)	–तथैव– ज्ञापांक 95 दिनांक 1.03.11	₹ 680000.00
(v)	–तथैव– पत्रांक 147 दिनांक 05.04.08	₹ 48000.00
	कुल	₹ 1040000.00

टिप्पणी

राशि ₹680000.00 को सहायक रोकड़बही में नहीं किया गया था।तथा इसका वितरण भी सभी वार्डों में नहीं किया गया।साथ ही रू0 48000.00 का इन्द्राज सहायक रोकड़पंजी में नहीं था।इसे सुधार कर इसकी अवशेष राशि एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र से अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(6) द्वादश वित्त आयोग

वर्ष 2008–09 से वर्ष 2010–11 में द्वादश वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त अनुदान एवं पूर्व के अनुदान का विवरण निम्न है:–

	प्रा0शेष	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	ई–गवर्नेंस	1% Capacity Building of city manager	नागरिक सुविधा
	1168421	836441.00	50186.00	16729.00	265065.00
नगर वि0 एवं आवास विभाग					
पत्रांक 1338/17.03.10	445515.00	445515.00	26731.00	8910.00	409874.00
तथैव 41/25.03.10	445515.00	1281956.00	76917.00	25639.00	674939.00
	891030.00				
वर्ष 2008–09 से 2010–11 में व्यय		276675.00	शून्य	शून्य	378653.00
अंतिम अवशेष		1005281.00	76917.00	25639.00	296286.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) प्राप्त अनुदान की स्वीकृती पत्र,उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा व्यय के सत्यापन के लिए अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया था।इसे अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

(ii) ₹28144.00 का व्यय नगर पंचायत मीरगंज कार्यालय के विद्युत वायरिंग तथा विद्युत सामान पर किया गया।विस्तृत विवरण निम्न है:–

(i)	0180899 चेक सं0/21.02.11	₹ 16620.00	सांडिल्य इलेक्ट्रीक्स मीरगंज
(ii)	0180900/चेक सं0/21.02.11	₹ 3870.00	दुर्गा आयरन शॉप
(iii)	0180901/21.02.11	₹5710.00	श्री चंदेश्वर प्रसाद
(iv)	0180905/06.03.11	₹ 2214.00	मे0 राजु इलेक्ट्रीक्स

यह व्यय द्वादश वित्त आयोग के दिशा निर्देश के विपरीत कर विचलन किया गया था। विचलन की राशि को नियमित किया जाय एवं अगले लेखा परीक्षा को दिखलाया जाय।

(7) 13वें वित्त आयोग

नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक 4713 दि0 17.08.10 से ₹ 900000.00 का अनुदान नगर पंचायत को प्राप्त हुआ था।लेकिन अनुदान की राशि अभी तक व्यय नहीं की गई।इस राशि को शीघ्र व्यय करने की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाऐं।

11.अनुदान का अवरोधन

पूर्ववर्ती अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0 262/08–09 के कंडिका 11 तथा 2008–09 से 2010–11 के सहायक रोकड़ बही के अनुसार अनुदान की स्थिति निम्न पाई गई।

क्र0सं0	**मद**	**01.04.08 का अवशेष**	**वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक प्राप्त राशि**	**कुल राशि**	**2008–09 से 2011 तक व्यय**	**अवशेष**
1	अनुदान रू0 5.00 लाख का अवशेष	158924.00	–	158924.00	शून्य	158924.00
2	नाला निर्माण	120033.00	–	120033.00	शून्य	120033.00
3	हाइड्रोलिक ट्रैक्टर क्रय	425000.00	–	425000.00	शून्य	425000.00
4	प्रशासनिक भवन निर्माण	2887875.00	–	2887875.00	शून्य	2887875.00
5	BPL सर्वेक्षण	70757.00	–	70757.00	शून्य	70757.00

(63)

6	चापाकल निर्माण	1016320.00	–	1016320.00	शून्य	1016320.00
7	विधायक मद	41300.00	–	41300.00	शून्य	41300.00
8	हाईमास्क लाईट	387800.00	–	387800.00	शून्य	387800.00
9	सांसद मद	25216.00	–	25216.00	शून्य	25216.00
10	SGSRY योजना	73984.00	–	73984.00	शून्य	73984.00
11	DPR के लिए	25000.00	–	25000.00	शून्य	25000.00
12	गंदी बस्ती विकास योजना	343536.00	–	343536.00	शून्य	343536.00
						5575745.00

यह सभी राशि करीब 2003–04 से अभी तक व्यय नहीं किया गया था जिससे अनुदान की राशि का अवरोधन किया गया था।अगर इसकी आवश्यकता नहीं हो तो सरकार को वापस कर दिया जाए या यथाशीघ्र व्यय किया जाए।

(i) एकादश वित्त आयोग

दिनांक 01.04.08 को एकादश वित्त आयोग का प्रारंभिक शेष रू0 240394.00 थी तथा इसमें निम्न व्यय किया गया:–

क्र0सं0	चेक सं0	राशि	योजना सं0
1	686890 तथा 686891 / 18.03.11	29700.00	06 / 2004–05
2	686893 / 18.03.11	14550.00	10 / 2004–05
	कुल	44250.00	

एकादश वित्त आयोग का अंतिम अवशेष 31.03.11 को 196144.64 था।एकादश वित्त आयोग के बंद हुए करीब 5 वर्ष हो गए तथा राशि का अभी तक अवरोधन किया गया।अनुदान की अव्यवहृत राशि को बिहार नगरपालिका लेखा निगम,1928 के नियम–'14C' के अनुसार सरकार को वापस कर दिया जाए।

(ii) शहरी गरीबी निवारण कार्यक्रम

इस योजना में प्रारंभिक अवशेष ₹ 408000.00 था तथा 18.03.2011 को ₹ 81340.00 सूद प्राप्त हुआ अर्थात् कुल राशि 489340.00 के विरूद्ध मार्च 2011 तक 463423.00 व्यय किया गया तथा अंतशेष ₹25917.00 था।

अव्यवहृत राशि को व्यय करने की दिशा में शीघ्र कदम उठाए जाऐं या सरकार को वापस कर दिया जाए।

12.वेतन अनुदान

नगर पंचायत द्वारा वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक वेतन अनुदान के लिए क्रमशः नगर पंचायत के पत्रांक 36 / 24.02.09 से वर्ष 2008–09 का वेतन माँग पत्र ₹ 680304.00 तथा वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 का कुल माँग पत्र ₹1391834.00 को पत्रांक 86 / 04.03.11 को भेजा

गया था।इसके विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार सरकार पटना के पत्रांक 58/25.03.09 से ₹ 511451.20 (639314 का 80%) का अनुदान प्राप्त हुआ था।

लेकिन माँग पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि निम्न व्यक्तियो के माँग के विरूद्ध कोई अनुदान नहीं प्राप्त होना चाहिए था:-

क्र0सं0	नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	सेवा में योगदान की तिथि	60 वर्ष या 40 वर्ष सेवा के उपरांत सेवानिवृति
1	श्री जनार्दन चौधरी,कर संग्रहकर्त्ता	02.06.1950	31.01.1967	31.01.07
				माँग 58909.00
2	श्री देवचंद बाँसफोर,सफाईकर्मी	मृत्यु	03.08.05	माँग 49188.00
			कुल	108097.00

80% अनुदानः- 108097 का 80% = 86478.00

अतः सरकार से ₹86478.00 का अधिक वेतन अनुदान गलत माँग पत्र भेजने के कारण प्राप्त हुआ था।अतः अधिक प्राप्त ₹ 86478.00 को वापसी राज्य सरकार की की जाय।

13.40 वर्ष सेवा के बाद सेवानिवृत नहीं कराया जाना

वेतन माँग पंजी के अनुसार निम्न कर्मचारियों को 40 वर्ष की सेवाअवधि पूर्ण करने के बाद भी उन्हें सेवानिवृत नहीं कराया गया था:-

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम	जन्म तिथि	सेवा में योगदान की तिथि	40 वर्ष अवधि के उपरांत सेवानिवृति	अभियुक्ति
1	श्री जनार्दन चौधरी,कर संग्राहक	02.06.1950	31.01.1967	31.01.2007	30.06.2010
2	जगीलाल सिंह,कार्यालय पिऊन	15.01.1953	10.07.1971	31.07.2011	-कार्यरत-

अंकेक्षण टिप्पणी

राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकाय के कर्मियों को 60 वर्ष की उम्र या 40 वर्ष सेवा जो पहले हो उनको निश्चित रूप से सवानिवृत करा देना होता है।लेकिन इस दिशा-निर्देश के विपरीत ऊपर लिखित कर्मचारियों को सेवानिवृत नहीं कराया गया था जबकि उनकी 40 वर्ष की सेवा समाप्त हो चुकी थी।

उपर्युक्त कर्मचारियों को अविलम्ब सेवानिवृत किया जाय एवं 40 वर्ष के पश्चात अवधि के लिए उनको भुगतान किए गए वेतन-भत्तों की राशि की वसूली सम्बन्धित कर्मचारी या जिम्मेवार अधिकारी से की जाय।

(61)

14. अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क

अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि जूलाई 04 से दिनांक दिसंबर 09 तक के कुल 22 त्रैमासिक में ₹ 4032999.00 की राशि अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क के रूप में निबंधन महानिरीक्षक बिहार पटना के पास बकाया थी तथा जनवरी 2010 से मार्च 2011 तक कुल 5 त्रैमासिक की राशि की गणना अवर निबंधन कार्यालय मीरगंज द्वारा नहीं की गई थी।

इस संबंध में नगर पंचायत मीरगंज द्वारा लगातार निबंधक महानिरीक्षक पटना से राशि प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया जा रहा था।अंतिम पत्राचार 25.06.11 को दिया गया था।

ज्ञातव्य हो कि नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति काफी जर्जर है तथा कर्मचारियों का वेतन भुगतन 16 माह से लंबित है।अतः कार्यपालक तथा बोर्ड से आग्रह है कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करते हुए राशि प्राप्त किया जाए ताकि नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो सके।

15.दिनांक 31.03.2011 को सामान्य रोकड़बही का अंतशेष एवं उसका विश्लेषण :–

दिनांक 31.03.11 का अंतशेष(सामान्य रोकड़बही के अनुसार)– 16432299.09

सामान्य रोकड़बही में अंतशेष का निम्न विश्लेषण था:–

(i)	समिति मद	8112677.00
(ii)	बी0 आर0 जी0 एफ0	5437078.00
(iii)	11वाँ वित्त मद	196144.00
(iv)	12 वाँ वित्त मद	1438123.00
(v)	शहरी गरीबी निवारण	25917.00
(vi)	हाईमास्ट लाईट योजना	387800.00
(vii)	सूद मद	223111.00
(viii)	राष्ट्रीय गंदी बस्ती योजना	359536.00
(ix)	विधायक मद	41300.00
(x)	S.G.S.R.Y	73984.00
(xi)	जी0 पी0 एफ0 मद	95928.00
(xii)	सांसद मद योजना	40700.00
		16432299.09

उपरोक्त अंतशेष की राशि से संबंधित बैंक खातों एवं उनमें निहित राशि का विवरण निम्न था:–

क्र0सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	राशि
1	S.B.I मीरगंज	11447422037	5178031.49
2	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1740	1379765.00
3	S.B.I गोपालगंज	01000050160	3098554.00
4	पोस्ट ऑफिस मीरगंज	124216	90928.45
5	पी0एन0बी0 मीरगंज	388	41141.00
6	S.B.I मीरगंज	01100050020	48394.28
7	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मीरगंज	6110	4237375.00
8	–तथैव–	5556	419804.00
9	S.B.I मीरगंज	30901765255	1599859.00
		योग	16093852.31
		+ अभिश्रव	12282.00
		+ अग्रिम	344748.00
		+ नजारत अग्रिम	18898.00
			16469780.31
		अंतर की राशि	37481.22
			16432299.09

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) रोकड़बही कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं पाई गई।

(ii) अभिश्रव के रूप में 12282.00 राशि दर्शायी गई जो अनियमित है।संग्रह की गई राशि से व्यय करना बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 में वर्जित है।अतः विपत्र को पारित कर राशि की निकासी की जानी चाहिए थी।इस राशि को नगर पंचायत निधि में जमा कर नियमित किया जाया एवं अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए।

(iii) नजारत अग्रिम के रूप में 18898.00 को दर्शाया गया था।नगद पैसे से अग्रिम का भुगतान करना भी अनियमित है।इस राशि को भी नगर पंचायत निधि में जमा कर अगले लेखा परीक्षा को अवगत कराया जाए।

16.वैट एवं स्वामित्व कर की राशि जमा नहीं

क्रियान्वित योजनाओं की जाँच में पाया गया कि योजनाओं में व्यवहृत सामग्रियों पर वैट एवं स्वामित्व कर की राशि का चेक कार्यालय द्वारा निर्गत कर दिया गया परन्तु यह राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं कराया गया है।जिसके कारण कुल क्रियान्वित 18 योजनाओं

में 26866.00 राशि सरकार के संबंधित शीर्ष में जमा नहीं हो पाई है।उक्त राशि को शीघ्र जमा कराकर अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(विवरणी परिशिष्ट III में संलग्न)

17. सरकारी भवनों पर बकाया

उपलब्ध आकड़ो के अनुसार नगर पंचायत मीरगंज क्षेत्र में स्थित सरकारी भवनों पर 31.05.2011 तक कुल 435159.41 राशि बकाया पाई गई है।इस राशि को शीघ्र वसूलने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

(विवरणी परिशिष्ट IV में संलग्न है।)

18.प्रमुख करों की वसूली दयनीय

(i) भवन कर

माँग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया जिससे वास्तविक माँग एवं वसूली की स्थिति ज्ञात नहीं हो पाई।उपलब्ध कराये गए आँकड़ों के अनुसार नगर पंचायत मीरगंज द्वारा भवन कर की कुल राशि 31.03.2011 को 6660681.50 बकाया थी, जिसका विवरण परिशिष्ट V में संलग्न है।

वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या 843/05 में दिनांक 25.03.08 द्वारा पारित आदेश के आलोक में गृह कर की वसूली स्थगित रखने का आदेश दिया गया था।

वर्ष 2010–11 में भी कुल माँग के विरूद्ध वसूल की गई राशि का प्रतिशत काफी कम था।वसूली के प्रति कार्यालय की उदासीनता को देखकर सक्षम पदाधिकारियों को सुझाव दिया जाता है कि वसूली का प्रतिशत बढाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जाऐं।

(ii)भयावह एवं दुषित व्यापार

वर्ष 2008–09 से वर्ष 2010–11 के दौरान भयावह एवं दुषित व्यापार कर के रूप में कोई राशि वसूल नहीं की गई और न ही संबंधित माँग एवं वसूली पंजी का संधारण किया गया।कार्यालय द्वारा उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार प्रति वर्ष मात्र ₹ 745 की माँग नगर पंचायत द्वारा रखी गई है।

उक्त माँग के अनुसार न तो वसूली की गई, न ही व्यवसाय की संख्या सुनिश्चित किया गया।भविष्य में प्रशासनिक स्तर पर ठोस कार्यवाही की जरूरत है ताकि नगर पंचायत के राजस्व में बढोतरी किया जा सके।(विवरणी परिशिष्ट VI में संलग्न है।)

19.बंदोबस्ती

नगर पंचायत मीरगंज द्वारा सैरात पंजी का संधारण नहीं किया गया था जिसके कारण नगर पंचायत के पास सैरातों की संख्या का पता नहीं चल पाया।कार्यालय द्वारा जो संचिकाएँ उपलब्ध कराई गई उसके अनुसार नगर पंचायत के पास 3 सैरात है जिसकी बंदोबस्ती कराई जाती है।

(i) मीरगंज बस स्टैण्ड

(क) वर्ष 2008–09 के दौरान मीरगंज बस स्टैण्ड की बंदोबस्ती श्री चंद्रमा यादव के साथ कुल रू0 443500.00 में की गई थी।परन्तु स्टाम्प शुल्क के रूप में 3% की राशि अर्थात् 13305.00 का स्टाम्प पेपर बंदोबस्तधारी से जमा नहीं कराई गई।इस प्रकार ₹ 13305.00 की राजस्व हानि राज्य सरकार को हुई।

(ख) वर्ष 2009–10 के दौरान आचार संहिता लागू होने के कारण एवं दिनांक 10.06.09 को बंदोबस्ती की निर्धारित तिथि पर किसी भी डाक वक्ता के उपस्थित न होने के कारण 01.04.09 से 09.08.09 तक विभागीय वसूली कराई गई। जिसमें कुल 167460.00 राशि वसूल की गई।

10.08.09 से 31.03.10 तक के लिए श्री गौतम यादव से 453600.00 राशि पर बंदोबस्ती कराई गई।परन्तु नगर पंचायत द्वारा बंदोबस्ती की राशि 453600.00 में से में से विभागीय वसूल की गई राशि 167460.00 घटाकर शेष ₹286140.00 ही जमा कराई गईं। जबकि बंदोबस्ती की आम सूचना में उल्लिखित शर्त्तो में इसका प्रावधान नही था। अतः 10.08.09 से 31.03.10 के लिए हुई बंदोबस्ती की राशि 453600.00 विभागीय वसूली की राशि घटाकर कम राशि जमा करने के कारण कुल 167460.00 राशि की राजस्व हानि नगर पंचायत निधि को हुई। इसकी वसूली जिम्मेवार व्यक्ति से की जाय।

श्री गौतम यादव से 10.08.09 से 31.03.10 तक हुए बंदोबस्ती की राशि 453600.00 की 3% राशि ₹ 13608.00 के स्टाम्प शुल्क के पेपर पर एकरारनामा नहीं करने के कारण 13608.00 की राजस्व हानि राज्य सरकार को हुइ।

(ग) वर्ष 2010–11 के लिए श्री चंद्रमा यादव से 500100.00 में बंदोबस्ती की गई।

बंदोबस्तधारी से 3% स्टाम्प शुल्क के पेपर पर एकरारनामा नहीं करने के कारण राज्य सरकार को 15003.00 (500100 का 3%) की राजस्व हानि हुई।

इस प्रकार वर्ष 2008–09 से 2010–11 के दौरान मीरगंज बस स्टैण्ड की बंदोबस्ती से नगर पंचायत एवं राज्य सरकार को कुल 209376.00 राशि (13305+167460+13608+15003) की हानि हुई। उक्त राशि को शीघ्र जिम्मेदार व्यक्तियों से वसूल कर अगले अंकेक्षण को अवगत करावें।

(57)

(ii) मालवाहक वाहनों पर कर

वर्ष 2008–09 में श्री मन्नु कुमार गुप्ता के साथ 67000.00 में बंदोबस्ती कराई गई।परन्तु बंदोबस्तधारी से 3% स्टाम्प शुल्क पेपर पर एकरारनामा नहीं कराया गया जिसके कारण राज्य सरकार को 2010.00 की हानि हुई।

परन्तु वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 में नगर पंचायत द्वारा न ही विभागीय वसूली कराई गई और न ही बंदोबस्ती कराई गई। संचिका से स्पष्ट हुआ कि दिनांक 04.02.09 को हुई बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव संख्या 18 द्वारा वर्ष 2009–10 से मालवाहक वाहनों पर कर की बंदोबस्ती स्थगित करने का निर्णय हुआ।

नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है।इसके बावजूद मालवाहक वाहनों से कर न वसूल होने के कारण,जो कि नगर पंचायत के लिए एक अच्छा आर्थिक स्त्रोत हो सकता था,पूर्व वर्ष की बंदोबस्त राशि 67000X2=₹134000.00 की हानि हुई।इसे दोषी व्यक्तियों से जमा कराकर अगले अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(iii) सुलभ शौचालय

वर्ष 2009–10 में सुलभ शौचालय की बंदोबस्ती श्री सुनील कुमार,अध्यक्ष, सेनिटेशन एण्ड इनभारमेन्ट डेवलपमेन्ट सोसाइटी,पटना के साथ 24500.00 में किया गया था,परन्तु अंकेक्षण अवधि तक उक्त राशि जमा नहीं किया गया।जिससे नगर पंचायत को 24500.00 की आर्थिक क्षति हुई।

साथ ही वर्ष 2010–11 में सुलभ शौचालय की बंदोबस्ती न होने के कारण नगर पंचायत को कम से कम वर्ष 2009–10 की राशि 24500.00 की हानि हुई।

इस प्रकार सुलभ शौचालय की बंदोबस्ती में 2009–10 से 2010–11 के दौरान कुल ₹49000.00 (24500+24500) की हानि नगर पंचायत को हुई।इसे संबंधित व्यक्ति से शीघ्र जमा कराकर अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

नगर पंचायत मीरगंज की आर्थिक स्थिति दयनीय है।इसके बावजूद रिक्सा, ठेला बैलगाड़ी,टमटम इत्यादि से कर न वसूले जाने के कारण जो कि नगर पंचायत के लिए एक आर्थिक स्त्रोत हो सकता था काफी नुकसान हो रहा। साथ ही साथ पेशाकर की भी वसूली नहीं की जा रही।सक्षम अधिकारियों का ध्यानाकर्षित किया जाता है कि नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाएँ ताकि नगर पंचायत की आर्थिक स्थिति सुदृढ हो सके।

20.विज्ञापन पर व्यय

नगर पंचायत मीरगंज के लेखापाल रोकड़बही एवं 12वें वित्त आयोग की रोकड़ बही तथा समिति मद के रोकड़ बही की जाँच में पाया गया कि विज्ञापन पर निम्न व्यय किया गया है:–

	समिति मद		
1	Nil/30.07.08	6194.00	H.T. मिडिया पटना
2	Nil/30.07.08	7743.00	–तथैव–
3	Nil/30.07.08	6297.00	जागरण प्रकाशन,पटना
4	Nil/30.07.08	10216.00	–तथैव–
5	429841/01.12.08	5488.00	न्यूट्रल पब्लिसिंग
6	429842/01.12.08	11800.00	H.T. मिडिया
7	429868/20.05.09	2581.00	–तथैव–
8	429869/20.05.09	6195.00	–तथैव–
9	455418/12.11.09	8800.00	–तथैव–
10	455419/12.11.09	4851.00	दैनिक जागरण पटना
11	455420/12.11.09	8448.00	H.T. मिडिया
12	455421/12.11.09	7276.00	जागरण प्रकाशन,पटना
13	455422/12.11.09	8448.00	H.T. मिडिया
14	455423/12.11.09	8448.00	–तथैव–
15	455424/12.11.09	7276.00	जागरण प्रकाशन
16	455425/12.11.09	7276.00	जागरण प्रकाशन
17	455447/30.03.10	4579.00	न्यूट्रल पब्लिसिंग
18	455448/30.03.10	9600.00	H.T. मिडिया
19	455449/30.03.10	5936.00	न्यूट्रल पब्लिसिंग
20	431005/29.06.10	9096.00	जागरण प्रकाशन
21	431006/29.06.10	14553.00	–तथैव–
		161101.00	

बिहार विज्ञापन नीति 2008 के अंतर्गत 1 अप्रैल 2008 से विज्ञापन पर किया गया व्यय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से किया जाना है।परन्तु उपर्युक्त कुल व्यय 161101.00 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से नहीं किया गया।अतः उपर्युक्त व्यय नियमित होने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

(55)

21.श्रम सेस की कटौती नहीं

बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग पत्रांक 33 दिनांक 19.06.08 एवं प्रधान सचिव,श्रम संसाधन विभाग के अर्द्ध सरकारी पत्र सं0 बी0सी0डब्लू सी0 01/2008 के माध्यम से राज्य सरकार के सभी कार्य विभागों को निर्देश दिया गया है कि उनके द्वारा लिए गए योजनाओं के कुल लागत का 1% श्रम उपकर के रूप में राज्य के निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चलाने के लिए संबंधित शीर्ष में जमा करना है। निर्धारित समय पर सेस नहीं जमा करने पर कुल सेस का 2% प्रमिमाह सूद भी जमा करना है।नगर पंचायत मीरगंज की कार्यान्वित योजनाओं में वर्ष 2008–09 से 2010–11 के बीच कुल 11 योजनाएँ कार्यान्वित हुई जिसमें 226777.00 रू0 का व्यय किया गया।अतः श्रम सेस की राशि ₹ 2268(1%) संबंधित शीर्ष में शीघ्र जमा कराया जाए।

22.विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने में 25071.00 की हानि

नगर विकास विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक 600/25.10.06 के द्वारा 25000.00 की राशि छोटे एवं मध्यम शहरों के समेकित विकास योजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(DPR) के लिए दिया गया था।इसी आलोक में नगर पंचायत के कनीय अभियंता से प्रसाद कन्सल्टेन्ट की हुई वार्त्ता के आलोक में मेसर्स प्रसाद कन्सल्टेन्ट को नगर पंचायत का DPR तैयार करने के लिए आदेश दि0 02.08.07 को निर्गत किया गया तथा डी0डी0 सं0 241378/04.08.07 के द्वारा 25000.00 एवं D.D बनवाने में व्यय 71.00 कुल ₹25071.00 का व्यय किया गया।

इसके पश्चात् प्रसाद कन्सल्टेन्ट द्वारा प्रारंभिक प्रतिवेदन दिया गया जिसपर 26.10.07 को उपाध्यक्ष द्वारा विशेष बैठक बुलाई गई जिसमें यह पाया गया कि प्रारंभिक प्रतिवेदन एक table report है क्योंकि इससे द्वारा न तो धरातल का सर्वेक्षण किया गया है और न ही प्रतिवेदन तैयार करते समय गंभीरता बरती गई है। साथ ही प्रसाद कन्सल्टेन्ट के साथ हुए एकरारनामा को रद्द कर दिया गया।इसकी सूचना संबंधित मेसर्स को 23.11.07 को निबंधित डाक से कर दिया गया।तथा विभिन्न पत्रांक से राशि वापस करने के लिए कहा गया लेकिन मेसर्स द्वारा राशि वापस नहीं किया गया।

पुनः दिनांक 20.10.08 को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्राप्त हुआ तथा कार्यालय के पत्रांक 222/11.08.08 एवं 261/22.10.08 द्वारा F.I.R किया गया ।परन्तु अंकेक्षण अवधि तक यह राशि संबंधित मेसर्स से जमा नहीं कराई जा रही है।

23. ट्रैक्टर तथा हाइड्रोलिक टेलर का क्रय

नगर विकास विभाग,बिहार सरकार पटना के ज्ञापांक 3515 दिनांक 19.09.06 द्वारा 4.25 लाख की राशि नगर पंचायत मीरगंज को सफाई संबंधी आधुनिक मशीन एवं उपकरणों के खरीद के लिए दिया गया था।नगर पंचायत मीरगंज द्वारा न्यूनतम दर पर मेसर्स ओम एग्रीकल्चर तथा ऑटो एजेन्सी,गोपालगंज से दिनांक 04.08.08 को 35 HP का है standard tractor तथा 9–16 का हाइड्रोलिक टेलर का क्रय रू0 497000.00 में किया गया था।जिसमें वैट की राशि (4%) ₹ 19115.00 का भुगतान मेसर्स को किया गया था।इसका बीमा दि ओरिएण्टल इन्श्योरेन्स कं0 लि0 गोपालगंज द्वारा 02.09.08 को किया गया था।इसके लिए रू0 7955.00 का भुगतान चेक सं0 686849 से किया गया था।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) ट्रैक्टर का क्रय अनुदान प्राप्त होने के करीब 2 वर्ष बाद किया गया था।जिससे मुद्रास्फीति के प्रभाव से नगर पंचायत को ट्रेक्टर के क्रय पर अधिक राशि व्यय करनी पड़ी।

(ii) ट्रैक्टर का रजीस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया गया था।

(iii) ट्रैक्टर के अश्वशक्ति(HP) की जाँच नहीं की गयी थी।

(iv) दिनांक 29.06.09 को पिकअप वाहन द्वारा ट्रैक्टर को धक्का मारने के कारण उसका अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया एवं थाना में उसकी प्राथमिकी (129/2009) दर्ज करायी गयी थी तथा ट्रैक्टर अभी तक सैन्ड्रम मेक के सर्विस केन्द्र पर थी।लेकिन ट्रैक्टर मरम्मति के लिए कोई प्राक्कलित राशि तथा तकनीकी पर्यवेक्षण द्वारा तकनीकी प्रतिवेदन नहीं दिया गया था।बीमा कंपनी को इस दुर्घटना की सूचना दी गई थी।लेकिन इसके साथ आवश्यक कागजात जैसे (a) ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन (b) सर्ववेयर प्रतिवेदन (c)खर्च का प्राक्कलन (d)बीमा का कागजात नहीं दिया गया था।रजिस्ट्रेशन नहीं रहने के कारण बीमा कंपनी द्वारा इसकी सर्ववेयर प्रतिवेदन नहीं बनाया गया था।जिससे 2 वर्ष से अधिक से ट्रैक्टर की मरम्मति नहीं हो सकी थी और शहर की जनता इसकी सुविधा से वंचित रही।

उपर्युक्त अंकेक्षण टिप्पणियों का उत्तर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

24.हैण्डट्रॉली तथा डस्टबीन का क्रय

दिनांक 23.12.09 को द्वादश वित्त आयोग के अनुदान से 20 अद्द हैण्डट्रॉली खरीद के लिए विज्ञापन दैनिक जागरण तथा प्रभात खबर में निकाला गया था (बोर्ड की बैठक 06.06.09 तथा 15.12.09)। इस विज्ञापन के आधार पर चार फर्मो ने कोटेशन दिया था। लेकिन कोटेशन के आधार पर क्रय नहीं कर नगर विकास विभाग के ज्ञापांक 862 दिनांक 21.02.08 के आधार पर मेसर्स प्रभदयाल ओमप्रकाश 2880 सिरकीब्लान,हॉज काजी दिल्ली 110006 को निम्न दर पर दिया गया था:-

क्र0सं0	उपकरण का नाम	अद्द	ली0	
(i)	हैण्डट्रॉली	20	250	10125 प्रति ट्रॉली
(ii)	रोड साइड डस्टबीन	5	150	16875 प्रति डस्टबीन

उपर्युक्त फर्म द्वारा दिनांक 18.01.2011 को ऊपरलिखित सामग्री का आपूर्ति किया गया था तथा उसे रू0 276675.00 का भुगतान चेक सं0 686883 दिनांक 23.02.11 को किया गया था।इसके अलावा रू0 10200.00 वैट की कटौती नगर पंचायत द्वारा की गई थी।

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) नगर विकास विभाग के ज्ञापांक 862 दिनांक 21.02.08 के अनुसार ट्रैक्टर एवं अन्य सामग्री क्रय के लिए अन्य नगर निकायों द्वारा किए गए क्रय के आधार पर कार्रवाई की जाए ताकि अनावश्यक विलंब न हो सके।जब इसी आधार पर क्रय करना था तो विज्ञापन पर रू0 41951.00 का व्यय करने का औचित्य ही नहीं था।व्यय की विवरणी निम्न है:-

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	संस्थान का नाम
(i)	686868	30.03.10	18240.00	H.T. मिडिया
(ii)	686869	30.03.10	9158.00	न्यूट्रल पब्लिकेशन
(iii)	0180927	29.06.10	14553.00	जागरण प्रकाशन
		कुल	41951.00	

अतः विज्ञापन पर व्यय की गई राशि ₹ 41951.00 निरर्थक प्रतीत होती है तथा वसूली योग्य है।

(ii) अध्यक्ष के अनुमोदन पर (18.01.11) बिना क्रय समिति के अनुमोदन पर मे0 प्रभुदयाल ओमप्रकाश को रू0 10125.00 पर प्रति हैण्डट्रॉली आपूर्ति करने का आदेश जो बिहिया,भभुआ इत्यादि का दर था को दिया गया था।लेकिन भभुआ नगर पंचायत में हैण्डट्रॉली(250ली0) का दर ₹ 10125.00 थी जिसकी आपूर्ति का आदेश नगर पंचायत भभुआ द्वारा दिनांक 11.01.10 को दिया गया था जबकि बिहिया में दर ₹ 9000.00(प्रति हैण्डट्रॉली,250ली0) तथा वैट अलग से था।लेकिन नगर पंचायत द्वारा इस दर पर वार्त्ता नहीं की गई थी,जिसके कारण रू0 22500.00(10125–9000=1125X20) की हानि हुई थी। जिसे संबंधित व्यक्ति से शीघ्र वसूल किया जाए।

(iii) विज्ञापन में रोड साईड डस्टबीन का प्रावधान नहीं किया गया था।लेकिन 5 रोड साईड डस्टबीन आपूर्ति(150ली0) का आदेश रू0 16875.00 प्रति डस्टबीन तथा वैट 12.5% अतिरिक्त पर दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि यह दर न0प0 लखीसराय न0प0 बिहिया,भभुआ इत्यादि का है।लेकिन बख्तीयारपुर में 150ली0 का डस्टबीन रू0 15000.00 तथा 12.5% वैट(अतिरिक्त) पर आपूर्ति किया गया था।अतः यहाँ इन सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया।इस कारण न0 पंचायत को रू0 9375.00(16875–15000=1875X5) की हानि हुई।जिसे संबंधित व्यक्ति से शीघ्र वसूल किया जाए।

(iv) नगर पंचायत द्वारा हैण्डट्रॉली भुगतान में रू0 8100.00(202500 का 4%) वैट का भुगतान मेसर्स प्रभुदयाल ओमप्रकाश को किया गया था।फर्म द्वारा नगर पंचायत को सूचित किया गया (28.02.11) था कि वैट की राशि 10 दिन में आपके यहाँ जमा करा दूँगा।लेकिन राशि अंकेक्षण अवधि तक जमा नहीं की गई थी।

अतः वैट की राशि ₹8100.00 की वसूली के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

25. निरस्त

26.रद्द/अपूर्ण योजनाओं में बकाया अग्रिम

(i) द्वादश वित्त आयोग के योजना पंजी के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2007–08 की निम्न योजनाओं को अभिकर्त्ता को प्रथम अग्रिम देने के पश्चात् रद्द कर दी गई थी।लेकिन अभिकर्त्ता द्वारा राशि नहीं जमा कराई गई एवं कार्यालय द्वारा भी राशि जमा करवाने के लिए कोई कार्यवाई नहीं की गई।

क्र0 सं0	योजना सं0	अभिकर्त्ता का नाम	प्रा0 राशि	प्रथम अग्रिम
1	1/07–08	साधु सरण प्रसाद क0 अभियंता	98460.00	7500.00
2	2/07–08	–तथैव–	98564.00	7500.00
3	3/07–08	–तथैव–	98460.00	7500.00
4	4/07–08	–तथैव–	98564.00	7500.00
5	5/07–08	–तथैव–	12768.00	7500.00
				37500.00

उपर्युक्त राशि ₹ 37500.00 को शीघ्र वसूल कर अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

(ii) वर्ष 2009–10 में द्वादश वित्त आयोग के अनुदान से 17 योजना ली गई थी।जिसमें 11 योजना पूर्ण थी तथा शेष 6 अपूर्ण योजनाओं में केवल प्रथम अग्रिम दिया गया था जिसका विवरण निम्न था:–

क्र0 सं0	योजना सं0	अभिकर्त्ता का नाम	प्रा0 राशि	प्रथम अग्रिम
1	01/2009–10	साधु सरण प्रसाद	19480.00	7500.00
2	6/2009–10	–तथैव–	19470.00	7500.00
3	7/2009–10	–तथैव–	19480.00	7500.00
4	9/2009–10	–तथैव–	19480.00	7500.00
5	10/2009–10	–तथैव–	19260.00	7500.00
6	12/2009–10	–तथैव–	19470.00	7500.00
				45000.00

उपर्युक्त राशि का सामंजस्य कर अगले अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।

27.अग्रिम लेखा

अग्रिम की सहायक रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2008–09 से 2010–11 में अग्रिम की स्थिति निम्न थी:–

वर्ष	2008–09	2009–10	2010–11
प्रारंभिक अवशेष	98571.00	166071.00	324748.00
वर्ष में दिया गया अग्रिम	246000.00	309677.00	420000.00
कुल अग्रिम	344571.00	475748.00	744748.00
सामंजस्य	178500.00	151000.00	400000.00
वर्ष का बकाया अग्रिम	166071.00	324748.00	344748.00

(81)

बकाया अग्रिम 344748.00 का विश्लेषण निम्न है:–

1	C.O.हथुआ	15000.00
2	DPR पटना	25071.00
3	सुदर्शन चौधरी ,टैक्स दरोगा	20000.00
4	रघुनाथ पासवान, सिटी मैनेजर	153000.00
5	साधु सरण प्रसाद ,J.E.	131677.00
	कुल	344748.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) बिहार नगरपालिका लेखा नियम 1928 के अनुसार अग्रिम के लिए अग्रिम पंजी का संधारण करना है।लेकिन अग्रिम की सहायक पंजी का संधारण किया गया जो लेखा नियम 1928 के अनुकूल नहीं है।

(ii) ऊपरलिखित विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2008–09 में ₹ 178500.00, वर्ष 2009–10 में ₹ 151000.00 तथा वर्ष 2010–11 में 400000.00 का सामंजस्य किया गया था।अंकेक्षण में अभिश्रव की माँग करने के बावजूद अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया।अतः कुल 729500.00 राशि अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

28.दैनिक मजदूरी पर व्यय

दैनिक मजदूरों पर व्यय को राज्य सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया है।परंतु नगर पंचायत मीरगंज द्वारा समिति मद से दैनिक मजदूरों पर निम्न खर्च किया गया:–

क्र0सं0	दिनांक	राशि
1	02.06.08	28917.00
2	19.06.08	31160.00
3	18.07.08	30668.00
4	26.08.08	16974.00
5	01.09.08	24600.00
6	03.10.08	25174.00
7	28.11.08	15996.00
8	28.11.08	36757.00
9	04.10.08	1066.00
10	22.12.08	19936.00

11	17.01.09	27289.00
12	17.01.09	23051.00
13	21.07.09	63461.00
14	14.08.09	54578.00
15	02.09.09	35623.00
16	19.10.09	61238.00
17	25.11.09	56140.00
18	25.02.10	64896.00
19	31.03.10	64361.00
20	12.08.10	118213.00
21	22.09.10	31781.00
22	14.02.11	30000.00
23	14.02.11	15000.00
	कुल	876879.00

राज्य सरकार द्वारा रोक लगाये जाने के बावजूद दैनिक मजदूरों पर हुआ व्यय 876879.00 अनियमित था।इसे सरकारी स्वीकृति मिलने तक अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखा जाता है।

29. कार्यपालक से वार्तालाप

नगर पंचायत मीरगंज के कार्यपालक पदाधिकारी से अंकेक्षण के दौरान समय–समय पर तथा अंत में वार्तालाप हुआ।

30. लेखा परीक्षा का परिणाम

1	लेखा परीक्षा के दौरान जमा कराई गई राशि	Nil
2	लेखा परीक्षा द्वारा वसूली का सुझाव	544992.00
3	आपत्ति के अंतर्गत रखी गई राशि	1767480.00

(विस्तृत विवरण परिशिष्ट VII में संलग्न है।)